माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / 2024 / डी.एड. सम्बद्धता / 2008, भोपाल, दिनांक 17 / 10 / 2008

प्रति,

प्राचार्य,
विक्टोरिया कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन
255 / 1 / 1 ग्राम–मौरोड़ खण्डवा रोड़, इन्दौर
जिला– इन्दौर (म0प्र0)

विषयः– सत्र 2008–09 के लिए डी.एड. परीक्षा हेतु मण्डल की सम्बद्धता बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक VCE/IND/486/2008-09 दिनांक 25.09.2008

––00––

उपरोक्त संदर्भित आवेदन पत्र के परिप्रेक्ष्य में आपकी संस्था को डिप्लोमा इन एज्युकेशन परीक्षा सत्र 2008–2009 तक के लिये माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र., राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद की अनुमति के आधार पर 50 छात्रों के लिए निम्न शर्तो के अन्तर्गत सम्बद्धता प्रदान करता है:–

1. संस्था की डी.एड. प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिये राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मूलभूत सुविधायें जैसे कि भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, टीचिंग स्टॉफ एवं अन्य व्यवस्थाएं होना चाहिये।
2. संस्था द्वारा छात्रों को डी.एड. में प्रवेश, राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अन्तर्गत ही दिया जावेगा।
3. राज्य शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित नीति के अनुसार प्रशिक्षण के लिये उपलब्ध कुल स्थानों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति व पिछड़ा वर्ग के लिये भी स्थान आरक्षित रखना होगें।
4. प्रत्येक वर्ष की प्रशिक्षण अवधि में कम से कम 150 दिन सैद्धांतिक प्रशिक्षण के लिये आवश्यक होंगे इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों को 30 दिन का प्रायोगिक प्रशिक्षण भी प्रदान करना होगा।
5. प्रायोगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था संस्था को स्वंय करनी होगी।
6. संस्था को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये आवश्यक योग्यता वाला पर्याप्त स्टॉफ नियुक्त करना होगा।
7. संस्था को प्रशिक्षण स्टॉफ के साथ–साथ प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण आनुषंगिक व्यवस्था के लिये आवश्यक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भी व्यवस्था करनी होगी।
8. संस्था द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक / 2078 / 1848 / 03 / 20–2 / 337 दिनांक 30.09.2008 के अनुसार ही दिया जावेगा।
9. प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने पर यदि यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया है तो संबंधित संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जावेगी।
10. प्रत्येक संस्था को सम्बद्धता का निर्धारित अवधि में नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।
11. संस्था को मण्डल द्वारा जारी वर्ष 2008–2009 की सम्बद्धता अवधि के दौरान एन.सी.टी.ई. की मान्यता प्रभावशील रहना चाहिए। एन.सी.टी.ई. द्वारा उसकी मान्यता बीच में ही समाप्त करने की दशा में मण्डल की सम्बद्धता भी उसी के साथ समाप्त हो जाऐगी।

कृ0पृ0उ0

12. संस्था को सम्बद्धता देने अथवा उसका नवीनीकरण करने में अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल का आदेश अंतिम होगा।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक / 2025 / डी.एड. सम्बद्धता / 2008, भोपाल, दिनांक 14/10/2008

प्रतिलिपिः—

1. संचालक, राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद मानस भवन, श्यामला हिल्स भोपाल।
2. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल इन्दौर ।
3. पंजीयक, परीक्षा संभाग इन्दौर माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
4. सहायक सचिव, परीक्षा संभाग इन्दौर माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल